आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30.05.2023 08/06/23	**वाद संख्या–25 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार अनुपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आयोग के पिछले सुनवाई में जिले के SDO जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में हैं, उनका कहना था कि वे विधि–व्यवस्था की Duty में रहने के कारण फाईल नहीं देख पाए हैं एवं आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि लाभुक अपीलकर्ता को माह दिसम्बर, 2022 का राशन 1.25 गुना मुआवजा के साथ उपलब्ध कराएँ एवं इसका प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध NFSA–2013 की सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx72	